तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 63/2022 किस्म 225 आर.टी.एक्ट. बअनवान गोमाराम बनाम देवीसिंह वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13.04.2023

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रतिष्ठा पिलानिया, आर.ए.एस.

उपस्थितः— श्री विष्णु चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री मनोज पारिक, श्री कैलाश कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.04.2023

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 91/2019 बअनवान देवीसिंह वगैरा बनाम आईदानराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 15.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 13/1 रकबा 92.17 बीघा मौजा गांगली तहसील सिणधरी में अवस्थित है जिससे लगते विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 639 प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते हैं। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काष्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। प्रार्थीगण के सड़क तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प यही रास्ता है जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में आदेश दिनांक 15.03.2022 करते समय तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए इसे पारित किया है जिसमें कानूनी व वाक्याती भूल की है, जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने **लोक अदालत की भावना से आपसी सहमती से राजीनामा कर उभयपक्ष के हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तावित रास्ता परिशिष्ट "अ"** पेश कर उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने पर सहमति जाहिर की। अधिवक्ता उभयपक्ष ने एक आवेदन वास्ते राजीनामा में नक्शा में दर्शाया गया **रास्ता बिंदु ए से बी** से रास्ता निकालने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि अपील राजीनामा अनुसार रिमाण्ड की जावे।

उभयपक्ष की उपस्थिति एवं समझाईश के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पेश रास्ते के प्रस्ताव को आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित ठहरता है। उभयपक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजीनामा के साथ पेश परिषिष्ट "अ" के अनुसार बाद

16

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सुनवाई आदेश पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.07.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रमिला पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

परिशिष्ठ 'अ'

नक्शा किश्तवार आखिव

मौजा - उमाळी

तहसील - चिखली

पैमाना 1" = 200 फूट

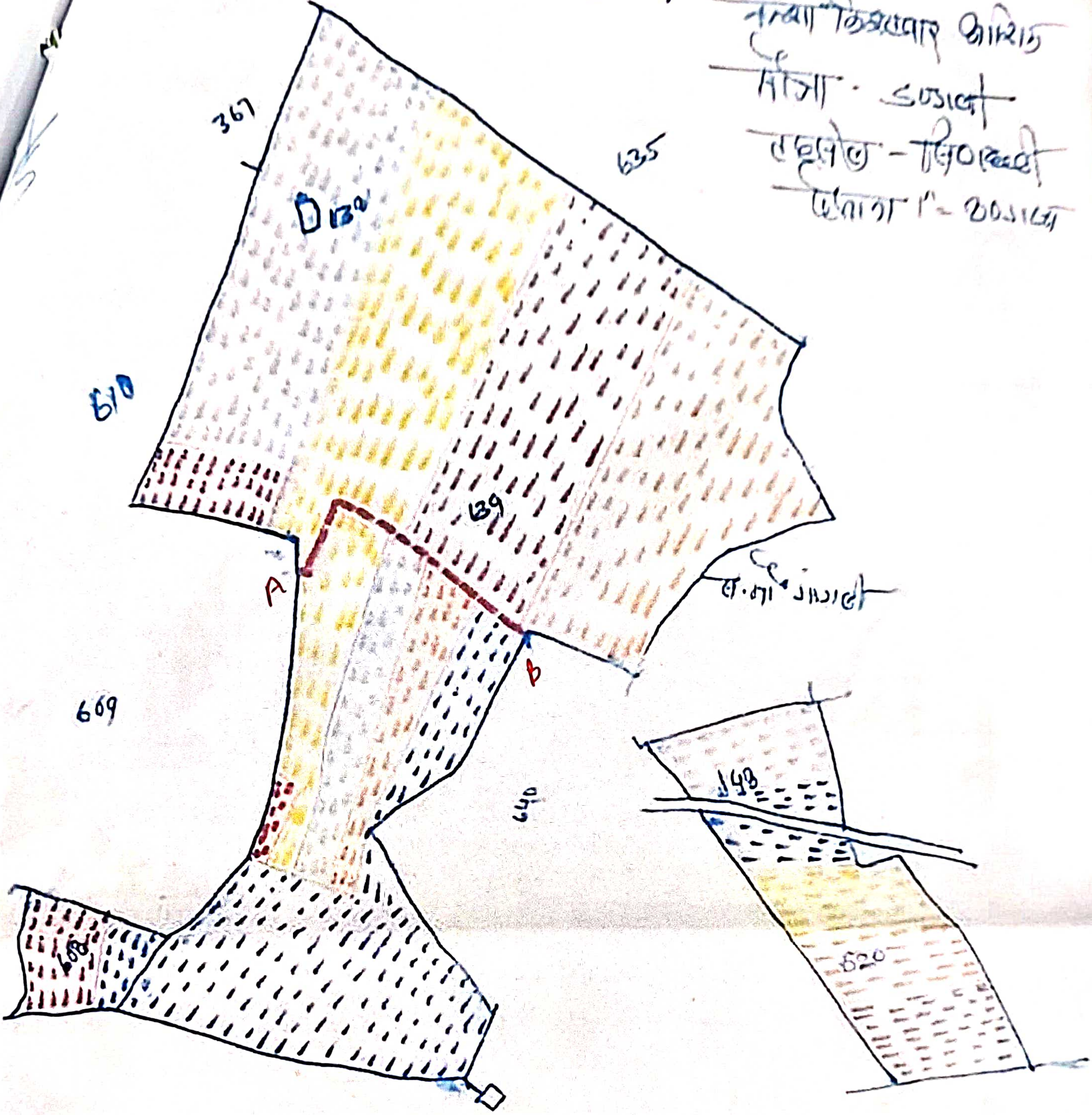

- पदमाराम
- अधिकार जोगा, गोगा, भाटे
- भूराराम
- उदाराम
- जालदेवी कौशल्या
- अद्दिदान पदमा राम

realme